

जिला कलेक्टर, अजमेर

30/5/12

उक्त पत्र 30/5/12 को प्राप्त हुआ है। अतः आदेशीय नामान्तरण के लिए तैयार हो अतः आदेशीय नामान्तरण के लिए 30/5/12 दिनांक 15/3/2012 निम्नलिखित किया जाता है प्रकरण लहसील द्वार अजमेर को रिमांड किया जाता है कि समस्त पत्रों को सुनवाई को अक्षर प्रदान करने हेतु सुनावणी पर निर्णय 3 माह में जारी करें। विस्तृत आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया जाएगा कि शीर्षक दिया गया। पत्रावली के सल सुमार होकर नम्बर संकस है।

(गौरव गोयल)
जिला कलेक्टर, अजमेर